न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –72 / 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/185

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

लक्की टी–स्टॉल चन्द्रेसल रोड संचालक श्री नरेश कुमार सेन पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी खेडली फाटक जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

दिनांकः– 19 .5.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेशानुसार घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग/अवैध रिफलिंग इत्यादि के विरूद्व संचालित अभियान के तहत दिनांक 25.02.2026 को जांच दल में सम्मिलित संध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी, समीक्षा भटनागर प्रवर्तन निरीक्षक, चन्द्रेसल रोड स्थित लक्की टी–स्टॉल पर मौके पर पहुंचे । मौके पर नरेश कुमार सेन पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी खेडली फाटक ने स्वयं को उक्त फर्म दुकान का मालिक होना बताया, जिनकी उपस्थिति में जांच का कार्य सम्पादित किया गया । दुकान परिसर का अवलोकन करने पर उक्त दुकान मे 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) भट्टी से जुड़ा हुआ पाया गया जिसका उपयोग चाय बनाकर बेचने हेतु किया जा रहा था । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित फर्म के मालिक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट है कि घरेलू गैस सिलेण्डर जो राज्य सरकार द्वारा घरेलु उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाते है का इनके द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था । मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर राजस्थान इंडेन गैस एजेंसी के प्रतिनिधि श्री हिमाद्री गोयल पुत्र श्री मुकेश गोयल को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया जिनका कुल अनुमानित मूल्य 2783/– अक्षरे दो हजार सात सौ, तिरांसी रूपये है ।

जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	INDANE	472945	14.2	15.6	27.0	11.4	घरेलू

इस प्रकार चन्द्रेसल रोड कोटा क्षैत्र में संचालित लक्की टी–स्टॉल के मालिक नरेश कुमार ने घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3(1)(ए), (बी) व (सी) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 01 घरेलू

गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) को राजसात करने का आदेश प्रदान करें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि दिनांक 25.2.2026 को जिला रसद अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सिलेंडर को जब्त कर लिया गया । उक्त दिवस पर सिलेंडर सिर्फ वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से रखा हुआ था । उसका किसी भी प्रकार से व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था । यह कि प्रार्थी के उक्त गलती क्षम्य एवं बोनाफाईड है । अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण को निस्तारित कर उक्त सिलेंडर पुनः प्रार्थी को लोटाने के आदेश प्रदान करें ।
5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर अप्रार्थी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है तथा उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी नहीं की जा रही थी ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एवं अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित होगा ।
6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 01 गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा